संख्या-२४/८/७६-का-प्रसको/२००२

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग- प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठः **लखनऊ दिनांकः दिसम्बर, 23 २००२**

विषयः- प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात संकाय अधिकारियों को प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय, समसंख्यक शासनादेश दिनांक १२ मई, १९९९ एवं दिनांक २१ अगस्त, १९९९ के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः-

(१) प्रशिक्षण भत्ता, फंक्शनल जाब प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण के आधार पर तैनात किये गये संकाय अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

(२) एम.ओ.टी. (मैनेजमेंट आफ ट्रेनिंग), डी.ओ.टी. (डिजाइन आफ ट्रेनिंग) एवं डी.टी.एस. (डायरेक्ट ट्रेनिंग स्किल) प्रशिक्षण, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा तथा नोडल संस्थान नामित किये जाने की तिथि २२-१-२००१ के उपरान्त, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त उक्त प्रशिक्षण, प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने हेतु मान्य होंगे।

२. प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के संबंध में प्रस्तर-१ में संदर्भित शासनादेशों में अंकित शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

३. प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किये जाने से पूर्व कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

४. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या G-(1)-883/x-2002 दिनांक १९-१२-२००२ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
प्रमुख सचिव

संख्या-24/8/76(1)- का-प्रसको /2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
२. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
३. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
४. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
५. समस्त वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उ.प्र. शासन।
६. वित्त (सामान्य) अनुभाग-१
७. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१/२
८. इरलाचेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) उ.प्र. शासन।

आज्ञा से

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।